न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
277 / 2023	02.08.2023	26.02.2024

उनवान

1. श्रीमती गटू पत्नी श्री श्रीचन्द जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नन्द लाल पुत्र श्री श्रीचन्द जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. मथुरा लाल पुत्र श्री श्रीचन्द जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. रामचन्द्र पुत्र श्री ज्वारा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सायर पत्नी श्री धन्ना जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. बद्री पुत्र श्री गणेश जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. अनोप पुत्री श्री परसा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. गीता पुत्री श्री परसा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. जगदीश पुत्र श्री परसा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. प्रेम पुत्री श्री परसा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. विमला पुत्री श्री परसा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. मांगी लाल पुत्र श्री मगना जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. लहरू पुत्र श्री मगना जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. शिवराज पुत्र श्री भंवर जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 661 की अभिलिखित आराजियात 4439/1214 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 661 की अभिलिखित आराजियात 4439/1214 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किंसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

(आ[illegible]कृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा